कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन, राशि की विमुक्ति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित विषयों पर दिनांक 27.11.2017 को हुई बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति – प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना, कृषि निदेशक, संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण), भूमि संरक्षण, संयुक्त निदेशक (शष्य), सांख्यिकी, उप निदेशक (शष्य), पी0पी0एम0, उप निदेशक (उद्यान) योजना, मुख्यालय, उप निदेशक (शष्य) सांख्यिकी उपस्थित।

   उपस्थित पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

2. **राज्य आपदा अनुक्रिया कोष**:– भारत सरकार से इस मद में प्राप्त राशि, बकाया राशि एवं उपयोग किये गये राशि का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं हो पाया क्योंकि इस मद की राशि वित्त विभाग के माध्यम से आपदा विभाग को प्राप्त होती है तथा आपदा विभाग द्वारा ही जिलों को आवंटित किया जाता है। प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि राज्य आपदा मद से 844 करोड़ रू0 सभी जिलों को विमुक्त किया गया है। कुछेक जिला में लगभग 67 करोड़ राशि व्यय हुई है परन्तु अधिकांश जिलों में अभी राशि का उपयोग नहीं हुआ है। उप निदेशक (शष्य) सांख्यिकी को वित्त एवं आपदा विभाग से समन्वय स्थापित कर अद्यतन वस्तुस्थिति प्राप्त कर अवगत कराने का निदेश दिया गया।

3. **कृषि क्षेत्र का यांत्रिकरण**:– वर्ष 2014–15 और 2015–16 के दौरान कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना के लिए भारत सरकार से प्राप्त राशि 9.01 करोड़ रूपये में से 1.25 करोड़ रूपये अवशेष बची हुई है। वर्ष 2016–17 में प्राप्त राशि 14.00 करोड़ रूपये संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को नहीं भेजी जा सकी है।

   प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि कस्टम हायरिंग योजना अन्तर्गत ग्रुपों में यंत्रों को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई है।

   प्रभारी पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकीकरण को विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा सभी आवश्यक कार्रवाई करते हुए लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल करने का निदेश दिया गया।

4. **विस्तार प्रभाग**:– वर्ष 2016–17 में राज्य को प्राप्त 3073.67 लाख रूपये एवं आत्मा योजना के तहत 446.86 लाख रूपये संबंधित विस्तृत समीक्षा नहीं हो सकी क्योंकि निदेशक, बामेति कतिपय कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

   निदेशक, बामेति को भारत सरकार से प्राप्त सारांश की प्रति भेजते हुए अद्यतन स्थिति प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

5. **राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम)**:– राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) योजना संबंधित तथ्यों से कृषि निदेशक–सह–बिहार राज्य विपणन पर्षद (वि0), पटना को अवगत कराते हुए अद्यतन स्थिति प्रतिवेदन उपलब्ध कसने तथा सभी आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

6. **राष्ट्रीय वानिकी एवं बाँस मिशन**:– भारत सरकार से प्राप्त सारांश से स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2013–14 में प्राप्त राशि में से अभी 0.33 करोड़ रूपये अवशेष बची हुई है। भारत सरकार को उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अब तक नहीं भेजी जा सकी है।

बैठक में उपस्थित उप निदेशक (उद्यान) योजना को निदेशित किया गया कि अविलम्ब उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजी जाय तथा राशि प्राप्ति हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई भी की जाय।

7. **परम्परागत कृषि विकास योजना**:– इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में 1400.49 लाख रूपये, वर्ष 2016–17 में 998.17 लाख रूपये एवं वर्ष 2017–18 में 573.86 लाख रूपये का आवंटन भारत सरकार से प्राप्त होने के बावजूद उक्त राशि व्यय नहीं हो पाने की सूचना से कृषि निदेशक को अवगत कराया गया।

कृषि निदेशक द्वारा बताया गया कि उक्त राशि कतिपय कारणवश खर्च नहीं हो पाई है परन्तु योजना कार्यान्वयन संबंधित सभी बाधाओं को दूर कर लेने, R.C का चयन हो जाने की सूचना देते हुए एक दिनों में योजना के वास्तविक कार्यान्वयन होने की जानकारी दी गई।

द्रुत गति से योजना कार्यान्वित करने तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

8. **पी0एम0के0एस0वाई0– अन्य क्रियाकलाप**:– इस योजना अन्तर्गत एसआईपी को पी0एम0के0एस0वाई0 में वेबपोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाने एवं वर्ष 2017–18 के लिए प्रथम किस्त विमुक्ति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं भेजने संबंधित तथ्य प्रकाश में आया।

संबंधित पदाधिकारी को अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।

9. **पी0एम0के0एस0वाई0**:– प्रति बूँद अधिक फसल (माइक्रो इरिगेशन), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, स्वायल हेल्थ मैनेजमेन्ट स्वायल हेल्थ कार्ड योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपाम मिशन समेकित बागवानी विकास मिशन एवं फसल बीमा योजना से संबंधित नोडल/वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए निदेश दिया गया कि पूर्ण वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध करायी जाय।

भारत सरकार से प्राप्त सारांश संबंधित अद्यतन स्थिति की जानकारी संबंधित शाखा से प्राप्त कर तीनों निदेशालयों को बिन्दुवार प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि माननीय मंत्री, कृषि, बिहार की ओर से माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री को अद्यतन स्थिति की जानकारी भेजी जा सके।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

30.11.17

(सुनिल कुमार सिंह)
कृषि उत्पादन आयुक्त,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

ज्ञापांकः–पी0पी0एम0–48/2017 4723 /कृ0, पटना, दिनांक 30-11-2017

प्रतिलिपिः– कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/प्रशासक, बिहार राज्य विपणन पर्षद (वि0), पटना/ निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य) सांख्यिकी, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, कृषि अभियंत्रण, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक, माप एवं तौल, पटना/संयुक्त निदेशक (रसायन)–सह–प्रभारी पदाधिकारी, परम्परागत कृषि विकास योजना एवं नमसा, बिहार,पटना/संयुक्त निदेशक, उद्यान–सह–प्रभारी पदाधिकारी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (सूक्ष्म सिंचाई योजना), उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना/उप निदेशक (बीज), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय तेलहन एवं ऑयल पाम मिशन, बिहार, पटना/उप निदेशक, उद्यान–सह–प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय वाणिकी एवं बाँस मिशन, उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) सूचना–सह–प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स प्लान, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

Tripathi
30/11/2017

(धनन्जयपति त्रिपाठी)
निदेशक, पी0पी0एम0,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–पी0पी0एम0–48/2017 4723 /कृ0, पटना, दिनांक 30-11-2017

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को संबंधित पदाधिकारियों के ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

Tripathi
30/11/2017

निदेशक, पी0पी0एम0,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।